"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 49] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 5 दिसम्बर 2003-अग्रहायण 14, शक 1925

भाग 4

विषय-सूची

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 दिसम्बर 2003

क्रमांक 5999/वि-2/पंग्रावि/2003.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा विकास आयुक्त, पंचायत और ग्रामीण विकास, तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय और अलिपिक वर्गीय सेवा) भरती नियम 1999 में

निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में—

(एक) अनुसूची तीन में सरल क्रमांक '3' के समक्ष कालम (5) की प्रविष्टि "शैक्षणिक अर्हताएं" से संबंधित तत्स्थानी प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"हायर सेकेण्डरी परीक्षा या समकक्ष एवं किसी मान्यता प्राप्त संस्था से इन्टरमीडियेट ड्राइंग परीक्षा उत्तीर्ण."

No. 5999/D-2/P & RD/2003.—In exercise the power conferred by the proviso of article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh hereby makes the following amendments in the Chhattisgarh Development Commissoner Establishment under Panchayat & Rural Development Department Class-III Ministerial & Non-Ministerial Services Rules 1999, namely :—

AMENDMENTS

In the Said rules—

(1) In Schedule III, for entry in front of S. No. 3 below Column 5 and entries relating thereto the following entries shall be substituted, namely :—

"Higher Secondary Examination/10+2 and Intermediate drawing from recognised Institution".

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल टुटेजा, उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित-20013.